रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271812
CG-DL-E-15042026-271812

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2026/ चैत्र 17, 1948
No. 246] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2026/ CHAITRA 17, 1948

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2026

"मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस (संशोधन), विनियम 2026"

सं. आर-11012/04/2025-पंजीकरण/एनएमसी.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम (2019 का 30) की धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (ज़ेडज़े), (ज़ेडके) और (जेडएल) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एतद्वारा "मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस विनियम, 2023" में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित **मसौदा विनियम** (**draft Regulations**) बनाता है, अर्थात्-

1. (i) इन विनियमों को "मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस (संशोधन), विनियम 2026" कहा जाएगा।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. "मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस विनियम, 2023" में

i. विनियम 2 में खंड (क) के बाद, एक नया खंड (कक) इस प्रकार जोड़ा जाएगा:

"सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) का अर्थ रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत चिकित्सा सेवाएं होंगी, जो सेवा में रहने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों,

सेवानिवृत्त सैनिक, उनके आश्रितों और अन्य लोगों को अधिदेश के अनुसार चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

ii. विनियम 6 में खंड (ङ) के बाद, विनियम 6 के लिए एक प्रावधान इस प्रकार जोड़ा जाएगा:

बशर्ते कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) में कमीशन प्राप्त या शामिल हुए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स -

i. सेवा की अवधि तक एएफएमएस में शामिल होने के समय अपनी पसंद की एक राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त करने का विकल्प चुनेंगे और सेवा दायित्वों के आधार पर भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत होंगे;

ii. सेवानिवृत्ति या सेवामुक्त होने पर उस राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकरण कराएंगे या वहां स्थानांतरित कराएंगे जहां वे प्रैक्टिस करना चाहते हैं;

iii. विनियम 7 में खंड (iv) के बाद, विनियम 7 के खंड (iv) के लिए एक प्रावधान इस प्रकार जोड़ा जाएगा:

बशर्ते कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) में कमीशन प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपनी सेवा अवधि के दौरान अपनी किसी भी अतिरिक्त चिकित्सा योग्यता को उस राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत कराएंगे, जिसके साथ वे पंजीकृत हैं और ऐसी प्रविष्टि एएफएमएस में उनकी सेवा की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य रहेगी।

iv. विनियम 8 में खंड (iii) के बाद, विनियम 8 के लिए एक प्रावधान इस प्रकार जोड़ा जाएगा:

बशर्ते यह भी कि खंड (i) में किसी बात के होते हुए भी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) में सेवारत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का लाइसेंस केवल निर्धारित समय के भीतर नवीकरण आवेदन प्रस्तुत न करने के कारण निष्क्रिय नहीं किया जाएगा और एएफएमएस संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद को, जहां भी लागू हो, नवीकरण आवेदनों के साथ कमीशन प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का विवरण वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा।

v. विनियम 9 में खंड (v) के बाद खंड (vi) इस प्रकार जोड़ा जाएगा:

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में सेवारत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पर सेवा की अवधि के दौरान प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस के हस्तांतरण से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे, और ऐसे प्रैक्टिशनर्स को उनकी सेवा दायित्वों के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।

vi. विनियम 10 के बाद, नया विनियम 10क इस प्रकार जोड़ा जाएगा:

10क. सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (एएफएमएस) में सेवारत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा कथित पेशेवर कदाचार के मामले में अधिकार-क्षेत्र-

(1) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में सेवारत किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के विरुद्ध पेशेवर कदाचार या चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाया जाता है, वहाँ जिस राज्य चिकित्सा परिषद में वह प्रैक्टिशनर पंजीकृत है, उसे उसराज्य चिकित्सा परिषद की सिफारिश पर जिसके क्षेत्राधिकार में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है, मामले का निर्णय करने का अधिकार होगा।

(2) जहां ऐसा कथित कदाचार का मामला पंजीकरण वाले राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में होता है, वहां घटना-स्थलके राज्य चिकित्सा परिषद शिकायत प्राप्त कर सकती है, मामले की जांच कर सकती है और उचित कार्रवाई के लिए पंजीकरण की राज्य चिकित्सा परिषद को उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ दंड पर अपनी सिफारिश के साथ रिपोर्ट भेज सकती है और पंजीकरण वाली राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा उस पर की गई कार्रवाई की सूचना घटना-स्थल के राज्य चिकित्सा परिषद तथा नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड को देगी।

(3) इस विनियम में निहित कोई भी लागू प्रावधान सशस्त्र बल सेवा नियमोंके अंतर्गत अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई को बाधित नहीं करेगा।

डॉ. राघव लंगर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./15/2026-27]

नोट: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III खंड 4, दिनांक 12 मई, 2023 एनएमसी अधिसूचना सं.आर.15021/04/2022-ईएमआरबी-पंजी. में प्रकाशित किया गया था।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग "मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस विनियम, 2023" में कुछ संशोधन प्रस्तावित करता है। विनियम 2, 6, 7, 8, 9 में संशोधन तथा 10क का समावेशन करने हेतु मसौदा विनियम तैयार किया गया है और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे उन सभी हितधारकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, तथा यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा विनियम (संशोधन)पर विचार, भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की प्रति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव यदि कोई हों, तो उन्हें उप-सचिव (पंजीकरण ईएमआरबी),एनएमसी, कमरा नंबर. 003, गेस्ट हाउस, ग्राउंड फ्लोर, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली-77 के पते पर प्रेषित किए जा सकते हैं तथा नीचे संलग्न निर्धारित प्रारूप में ईमेल (regn_regulations_amend_2026@nmc.org.in) द्वारा भेजे जा सकते है:

आपत्तियां और सुझाव केवल उपरोक्त ई-मेल आईडी पर ही भेजे जाएं तथा किसी अन्य माध्यम, जैसे भौतिकरूप से या अन्य किसी तरीके से प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना का मसौदा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइटhttps://www.nmc.org.in पर उपलब्ध होगी।

सुझाव/टिप्पणियाँ प्राप्त करने का प्रारूप

क्र.सं.	**व्यक्ति/संगठन का नाम एवं पता, संपर्क नंबर, ई-मेल आईडी**	**अधिसूचना के मसौदे का वह सम्बद्ध भाग, जिस पर टिप्पणियां की जा रही है**	**टिप्पणियां/सुझाव**	**तर्क**	**टिप्पणियां**

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2026

"Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine (Amendment), Regulations 2026"

No. R.11012/04/2025-Regn/NMC.—In exercise of the powers conferred by clauses (zj), (zk) and (zl) of sub section (2) of section 57; of the National Medical Commission Act (30 of 2019), the National

Medical Commission hereby makes the following **draft Regulations** to amend the "Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine Regulations, 2023" namely-

1. (i)These Regulations may be called the "Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine(Amendment), Regulations2026".

(ii)They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine Regulations, 2023

i. In Regulation 2 after clause (a), a new clause (aa) shall be inserted as:

"Armed Forces Medical Services (AFMS)"shall mean the integrated medical services of the Indian Armed Forces functioning under the Ministry of Defence, Government of India, and responsible for providing medical care to serving armed forces personnel, veterans, their dependents and others as per mandate".

ii. In Regulation 6 after clause (e), a proviso to regulation 6 shall be inserted as:

Provided that Medical practitioners commissioned or joined in the Armed Forces Medical Services (AFMS)-

i. shall opt to be registered and licensed with one State Medical Council of their choice at the time of joining AFMS till the duration of service and authorized to practice in any State or Union Territory in Indiaby virtue of service obligations;

ii. shall, upon retirement or release from service, register withor transfer to theStateMedical Council where they intend to practice;

iii. In Regulation 7 after clause (iv), a proviso to regulation 7 clause (iv) shall be inserted as:

Provided that medical practitioners commissioned in the Armed Forces Medical Services (AFMS) shall register any additional medical qualification with the State Medical Council with which they are registered during the period of service, and such entry shall remain valid across all States and Union Territories for the duration of their service in AFMS.

iv. In Regulation 8 after clause (iii), a proviso to regulation 8 shall be inserted as:

Provided further that, notwithstanding anything contained in clause (i), the licence of the medical practitioners serving in the Armed Forces Medical Services (AFMS), shall not be rendered inactive solely on account of non-submission of the renewal application within the prescribed time and the AFMS shall furnish the details of commissioned medical practitioners along with renewal applications, wherever applicable, to the concerned State Medical Council on annual basis and provide the record to National Medical Commission.

v. In Regulation 9 after clause (v), clause (vi) shall be inserted as:

The provisions relating to transfer of licence to practice shall not apply to medical practitioners serving in the Armed Forces Medical Services during the period of their service, and such practitioners shall be deemed to be authorized to practice across all States and Union Territories by virtue of their service obligations**.**

vi. After Regulation 10,new regulation 10A shall be inserted as:

10A. Jurisdiction in case of alleged professional misconduct by medical practitioners serving in Armed Forces Medical Services (AFMS)—

(1) Notwithstanding anything contained in these Regulations, where an allegation of professional misconduct or medical negligence is made against a medical practitioner serving in the Armed Forces Medical Services, the State Medical Council with which the practitioner is registered shall have the jurisdiction to decide the matter upon the

recommendation of the State Medical Council within whose territorial jurisdiction the cause of action arose.

(2) Where such alleged misconduct occurs in a State other than the State of registration, the State Medical Council of the place of occurrence may receive the complaint, inquire the matter and shall forward the report with its recommendation on the punishment, along with available records, to the State Medical Council of registration for appropriate action and the action taken thereon by the State Medical Council of registration shall be communicated by them to the State Medical Council of the place of occurrence and to the Ethics and Medical Registration Board.

(3) Nothing in this regulation shall preclude disciplinary or administrative action under applicable Armed Forces service laws.

Dr. RAGHAV LANGER, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./15/2026-27]

Note: The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, PART III- Section 4, dated 12 May, 2023 vide NMC Notification No. R.15021/04/2022-EMRB-Reg.

The National Medical Commission proposes certain amendment to "Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine Regulations, 2023". The **draft regulation** amending the regulation in 2, 6, 7,8, 9, inserted 10A, have been prepared and approved by the competent authority following due procedure and is hereby published for information of all stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said **draft Regulation** (amendment) shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft Regulation (amendment) are made available to public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by National Medical Commission.

Objections and suggestions if any, may be addressed to the Deputy Secretary (Reg-EMRB), NMC, Room No.. 003, Guest House, Ground Floor, National Medical Commission, Pocket-14, Sector-8, Dwarka, Phase-1, New Delhi-77 and sent by email at (regn_regulations_amend_2026@nmc.org.in) in the prescribed format attached below:

The objections and suggestions be sent **only** on the above e-mail ID and the objections/suggestions received in any other means i.e physical or through other modes will not be entertained.

The draft notification will be available on National Medical Commission's website: https://www.nmc.org.in

Format for seeking suggestions/comments

Sl. No.	Name & Address of the Person/Organization contact number, email ID	Relevant section in the draft Notification on which comments are being provided	Comments/ Suggestions	Rationale	Remarks

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.04.15 22:44:44 +05'30'